

11 अप्रैल / April, 2023

प्रति/To,

श्री राजेश रंजन

ए1 (भूतल), नीति बाग

अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली

मोबाइल / Mob: 9958511222

ई-मेल / E-mail: rajeshranjan2@gmail.com

Shri Rajesh Ranjan

A1 (Ground Floor), Niti Bagh,

August Kranti Marg,

New Delhi - 110049

विषय: आईआरडीएआई में संपूर्णता समझौता (इंटेग्रिटी पैक्ट) ("आईपी") के कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र बाह्य अनुवीक्षक (मानिटर) के रूप में नियुक्ति


Sub: Appointment as Independent External Monitor (IEM) for implementation of Integrity Pact ("IP") in IRDAI

महोदय/Sir,

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) भारत में बीमा उद्योग के लिए विनियामक निकाय होते हुए विभिन्न प्रकार की प्रापण निविदाओं का निष्पादन एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मुख्य रूप से जीईएम और ई-प्रापण पोर्टल के माध्यम से करता है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने सभी प्रमुख प्रापणों में संपूर्णता समझौता (आईपी) के कार्यान्वयन के लिए सूचित किया है। Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) being the regulatory body for the Insurance industry in India executes various types of procurement tenders majorly through GeM and e-procurement portal in a fair and transparent manner. The Central Vigilance Commission (CVC) has advised implementation of Integrity Pact (IP) in all the major procurements.

इस संबंध में, आपको सूचित किया जाता है कि इसके द्वारा आपको आईआरडीएआई में आईपी के कार्यान्वयन के लिए एक स्वतंत्र बाह्य अनुवीक्षक (मानिटर) के रूप में नियुक्त किया जाता है। आईपी के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया का नियंत्रण सीवीसी परिपत्र सं.015/ वीजीएल/091 दिनांक 25.01.2022 के अनुसार संशोधित मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के द्वारा किया जाएगा। आईईएमएस की भूमिका और कर्तव्य उक्त परिपत्र दिनांक 25.01.2022 में उल्लिखित हैं एवं अन्य नियम और शर्तें अनुबंध-1 के अनुसार हैं।

In this regard, it is to inform you that you are hereby appointed as an Independent External Monitor (IEM) for implementation of IP in IRDAI. The procedure for implementation of IP shall be governed by revised Standard Operating Procedures (SOP) as per the CVC circular No. 015/VGL/091 dated 25.01.2022. The role and duties of IEMs mentioned in the circular dated 25.01.2022 and other terms and conditions are as per Annexure-I.


(पी. एस. जगन्नाथम/ P.S. Jagannatham)

मुख्य महाप्रबंधक (सा.प्र.&मा.सं.) / CGM (GA & HR)

संलग्नक / Encl: अनुबंध / Annexure - I: नियम और शर्तें / Terms and Conditions

प्रति / Copy to: केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), नई दिल्ली / Central Vigilance Commission (CVC), New Delhi